Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

विजय बनाम सुगन

किस्म मुकदमा.................225 आर टी एक्ट.............अपील संख्या 95/18

GCMS NO 2018/00201

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.12.24 राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता ने दौराने बहस अवगत कराया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय को अपीलांट/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर उभयपक्ष को सुना जाकर ही किसी प्रकार का कोई निर्णय विधि अनुसार पारित करना चाहिए था। रेस्पो/प्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वास्तविक तथ्यो को छिपाकर पेश किया है। रेस्पो0/सायल द्वारा वादग्रस्त आराजीयात अपीलार्थी को दिनांक 21.6.05 को दो लाख पन्द्रह हजार मे गवाहान के सामने विकय कर आराजीयात पर कब्जा अपीलांर्थी को संभला दिया था। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात से रेस्पो/सायलान का किसी प्रकार का कोई वास्ता संबध नही रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार कब्जे के बाबत कोई रिपोर्ट तलब नही की गई है। बिना कब्जे के ही अन्तरिम आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 5.7.18 को अपास्त फरमाया जावे। रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.7.08 को एक तरफा मे डिकी किया जाकर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गय था। इसतरफा डिकी के खिलाफ गैरसायलान ने आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के यहॉ किये जाने पर अपील को रिमाण्ड किया गया। जो अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। आराजी [illegible] रकबा 1.37 है0 का सायल खातेदार है। सायल/रेस[illegible] उक्त आराजीयात को काबिज रहकर काश्त [illegible] की खातेदारी की आराजीयात से अपीलांट/गैरसायलान द्वारा जबरन बेदखल करने की वजह से अधिनस्थ न्यायालय मे धारा [illegible] आर टी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गण्डाल के आराजी ख0न0 495 व 496 के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने तथा उपयोग	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:05:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करने की इस्तदुआ चाही गई थी। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर गैरसायल/अपीलांट को आगामी तारीख पेशी तक विधि अनुसार पाबन्द किया गया है। जो उचित है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस से यह तथ्य सामने आये कि सायल/रेस्पो0 द्वारा भूमि ख0न0 495 व 496 की आराजीयात मे गैरसायल/अपीलांट किसी प्रकार की मजाहमत नही करने हेतु पाबन्द कराने की प्रार्थना की गई थी। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड का अवलोकर कर आगामी पेशी तक अपीलांट/गैरसायल को पाबन्द किया गया है। चूकिः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अन्तरिम आदेश है वह पूर्ण निर्णय की श्रेणी मे नही आता है। अपीलांट/गैरसायल को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम आदेश के विरूद्व जबाब पेश कर रिलीफ प्राप्त करनी चाहिए थी। उसके द्वारा सीधे ही न्यायालय हाजा मे अपील पेश की गई है जिससे अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही स्थगित हो गई है।

इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट/गैरसायल से टी आई प्रार्थना पत्र को जबाब प्राप्त किया जाकर प्रकरण को अन्दर तीन माह मे अंतिम निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। अपीलांट को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर टी आई प्रार्थना पत्र को जबाब प्रस्तुत करे।

निर्णय सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:05:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner